न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./87/2022

1. उगमा पुत्र श्री भैरू जाति माली निवासी कोठिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र रायमल जाति जाट निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
2. ईमामुद्दीन पुत्र कासम खां जाति नीलगर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
3. ओमप्रकाश पुत्र मोहन जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
4. कन्हैयालाल पुत्र मोहन जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
5. गोपाल पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– देवकान्त व्यास
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 12.11..2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां ए मू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 45 में दर्ज ख0न. 4659 रकबा 0.21 और ख.न. 4660 रकबा 1.76 कुल किता 02 कुल रकबा 1.97 हैं0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01, 02, 04 और 05 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर अप्रार्थीगण सं0 01, 02, 04 और 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि अप्रार्थीगण सं0 3 को जारी नोटिस फौत सूचना के साथ प्राप्त हुआ। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकार कर, अप्रार्थी सं0 3 ओमप्रकाश का नाम विलोपित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट की। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 अनुतोष योग्य होने से बैंच सदस्यों द्वारा प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीसं0 3 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम में लिखित कथनों को दोहराते हुए, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियांकलां का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 45 में दर्ज ख0न. 4659 रकबा 0.21 और ख.न. 4660 रकबा 1.76 कुल किता 02 कुल रकबा 1.97 है0** प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक देवलियांकलां को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

Maryada

(मर्यादा शर्मा)
अध्यक्ष
रा0लोक अदालत बैंच-
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

Scanned with CamScanner